राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
फोन–0141– 2711964
rajssashaladarshan@gmail.com

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/2017–18 / 2578 दिनांक : 18/6/18

शासन उपसचिव,
प्रारम्भिक शिक्षा,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : सीधी भर्ती से उपलब्ध तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल –1 एवं लेवल–2) विशेष शिक्षक की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन हेतु दिशा–निर्देशों के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सीधी भर्ती से उपलब्ध तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल –1 एवं लेवल–2) विशेष शिक्षक की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाने है –

राज्य सरकार द्वारा स्थापित CWSN संदर्भ केन्द्रो के विशेष शिक्षक श्रेणीवार (MR,HI,VI) निर्धारित पदों, राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड के निर्धारण एवं समानीकरण हेतु जारी आदेश क्रमांक प.5(8)प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016 के तहत विद्यालयवार स्वीकृत पदों में से ही रिक्त पदों का चयन किया जायेगा। प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन हेतु उपलब्ध अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु रिक्त पदों का चयन निम्नानुसार किया जायेगा–

1. CWSN संदर्भ केन्द्रों के विशेष शिक्षक श्रेणीवार निर्धारित पदों में से रिक्त पद का चयन निम्नानुसार किया जायेगा।
   (a) प्रत्येक CWSN संदर्भ केन्द्र पर तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल –1/लेवल–2) विशेष शिक्षक के कुल 3 पद (MR,HI,VI प्रत्येक विशेष श्रेणी का एक–एक पद) निर्धारित है।
   (b) CWSN संदर्भ केन्द्र के संबधित विशेष शिक्षक श्रेणी (MR,HI,VI) के स्पष्ट रिक्त पद का ही चयन किया जायेगा।
   (c) जिन CWSN संदर्भ केन्द्रों में विशेष शिक्षक की संबधित विशेष शिक्षक श्रेणी (MR,HI,VI) का पद रिक्त है उन संदर्भ केन्द्रों में संबधित ब्लॉक के कक्षा 1 से 8 के संबंधित विशेष शिक्षक श्रेणी (MR,HI,VI) के CWSN नामांकन के घटते हुए क्रम के अनुसार रिक्त पदों का चयन किया जायेगा।
2. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार चयनित रिक्त पदों के चयन के पश्चात भी उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या से कम रिक्त पद उपलब्ध होने पर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्वीकृत शैक्षणिक कार्मिकों के पदो (तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–1 एवं लेवल–2) में से रिक्त पद का चयन निम्नानुसार किया जायेगा।
   (a) जिस ग्राम पंचायत में CWSN संदर्भ केन्द्र स्थापित है उस ग्राम पंचायत के विद्यालयों के रिक्त पदों को नव चयनित विशेष शिक्षकों के पदस्थापन की काउन्सलिंग हेतु प्रदर्शित रिक्त पदों की सूची में सम्मिलित नही किया जाये।
   (b) जिस ग्राम पंचायत के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल –1/लेवल–2) विशेष शिक्षक कार्यरत है उस ग्राम पंचायत के विद्यालयों के रिक्त पदों को नव चयनित विशेष शिक्षकों के पदस्थापन की काउन्सलिंग हेतु प्रदर्शित रिक्त पदों की सूची में सम्मिलित नही किया जाये।

www.rajteachers.com

(c) जिस ग्राम पंचायत के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल –1/लेवल–2) विशेष शिक्षक कार्यरत नही है उस ग्राम पंचायत के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के CWSN नामांकन के घटते हुए क्रम में रिक्त पद वाले सर्वाधिक CWSN नामाकंन वाले एक विद्यालय के रिक्त पद का चयन किया जायेगा।

(d) 5 एवं 5 से अधिक CWSN नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को नव चयनित विशेष शिक्षकों के पदस्थापन की काउन्सलिंग हेतु प्रदर्शित रिक्त पदों की सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(e) बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु (d) के अनुसार चयनित रिक्त पदों के चयन के पश्चात भी उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या से कम रिक्त पद उपलब्ध होने पर 5 से कम CWSN नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को CWSN नामांकन के घटते हुए क्रम में नव चयनित विशेष शिक्षकों के पदस्थापन की काउन्सलिंग हेतु प्रदर्शित रिक्त पदों की सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(f) बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु (a),(b),(c),(d) एवं (e) के क्रम में स्पष्ट है कि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल–1 एवं लेवल–2) विशेष शिक्षक को पदस्थापित नही किया जाना है।

(g) नव चयनित विशेष शिक्षकों के पदस्थापन की काउन्सलिंग हेतु रिक्त पदों के निर्धारण के लिए सीधी भर्ती से उपलब्ध तृतीय श्रेणी अध्यापक (लेवल–1 एवं लेवल–2) की प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन हेतु दिनांक 31.01.2017 एवं संशोधित जारी दिशा–निर्देशों की पालना भी की जायेगी।

(h) दिनांक 31.01.2017 को जारी दिशा–निर्देशों में वर्णित बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु (i) में वर्णित काउंसलिंग की कार्यवाही के क्रम में अध्यापक तृतीय श्रेणी संबधित लेवल एवं संबधित विषय से पूर्व तृतीय श्रेणी अध्यापक विशेष शिक्षक संबधित लेवल एवं संबधित विषय की कॉउन्सिलिंग आयोजित की जायेगी।

कृपया उक्त संबंध में आवश्यक आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने संबंधी कार्यवाही करावें।

Sd/

(डॉ. प्रिया बलराम शर्मा)
उपायुक्त (शाला दर्शन)

क्रमांकः–राप्राशिप/गुणवत्ता शिक्षा/शा.दर्शन/2016–17/ 2579 दिनांक : 18/6/18

प्रतिलिपि **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही** हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. जयपुर।
4. उपायुक्त, समावेशित शिक्षा, राप्राशिप, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

(राजेश कुमार)
उपनिदेशक (शाला दर्शन)